प्रमुख संसाधन केंद्र (के.आर.सी.)

सेन्टर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्ट्डीज (सीडेक्स), जयपुर

Phone- 0141-2294988, 9414077287

Email-cdecsproject@gmail.com;website: www.cdecs.org

केआरसी द्वारा स्तर -3 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए

3 दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल फ्रेमवर्क

पहला दिन : "हर घर जल" की अवधारणा

सत्र	सत्र उद्देश्य	अवधि	विषय	विधि / गतिविधि
उद्घाटन सत्र	उद्घाटन और परिचय	45 मिनट	• परिचय, मानदंड निर्धारण और उद्घाटन ○ स्वागत ○ जेजेएम/प्रशिक्षण कार्यक्रम पर पांच मिनट का संक्षिप्त विवरण ○ प्रतिभागियों का परिचय ○ सहभागी पद्धति से प्रशिक्षण का समय और प्रशिक्षण के लिए नियम बनाना ○ प्रतिभागियों की प्रतिबद्धता ○ डीडब्ल्यूएसएम (DWSM) अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा उद्घाटन	• जेजेएम पर लघु फिल्म • जोड़ी में परिचय • प्रश्न – उत्तर (पोस्टर/पेन का प्रयोग) • प्रतिबद्धता • व्याख्यान
सत्र 1: सुरक्षित पानी और स्वच्छता का महत्त्व	• गांव/आबादी/ग्राम पंचायत में मौजूदा पेयजल और वाश प्रणाली, प्रक्रिया और समस्याओं के बारे में प्रमुख प्रतिभागियों के ज्ञान के स्तर और समझ का आकलन करना। • प्रतिभागियों को सुरक्षित जल और स्वच्छता के महत्व के बारे में अवगत कराना • उन्हें अपने क्षेत्र/गांवों में पानी और स्वच्छता सुविधाओं की स्थिति के बारे में जागरूक करना	75 मिनट	• प्रशिक्षण के डिजाइन, उसके उद्देश्य को साझा करना और कार्यशाला की अपेक्षाओं के साथ उसका मिलान करना; ○ प्रशिक्षण से अपेक्षाएं ○ प्रशिक्षण के उद्देश्य ○ प्रशिक्षण डिजाइन ○ प्रतिभागियों की अपेक्षाओं के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का मिलान करना ○ प्रतिभागियों द्वारा आवश्यक होने पर विषय जोड़ना • गांवों में वर्तमान परिदृश्य की जानकारी (संबंधित गांवों के गांव प्रोफाइल); ○ गांवों का वर्तमान परिदृश्य - बुनियादी ढांचा, चल रही विकास गतिविधियां, कार्य • ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक जल ज्ञान ○ सामाजिक मूल्य ○ सांस्कृतिक मूल्य ○ जल प्रबंधन पर ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास • गांवों में वॉश (WASH)की स्थिति; ○ वर्तमान परिदृश्य – जेजेएम (JJM) और ओडीएफ (ODF) स्थिति ▪ राज्य ▪ जिला ▪ ब्लॉक ▪ गांव • जल जनित रोगों की घटनाएँ और कारण और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव; ○ जल जनित रोगों पर प्रतिभागियों का ज्ञान ○ जल जनित रोगों की घटनाएँ और कारण • फेकल-ओरल रूट चार्ट(Fecal-oral route chart) को समझना ○ सामाजिक-आर्थिक प्रभाव - गरीबी और बीमारियों का दुष्चक्र • एक परिवार के लिए सुरक्षित पेयजल का महत्व; ○ सुरक्षित/असुरक्षित जल स्रोतों और पानी	▪ प्रश्न उत्तर सत्र, ▪ विचार - विमर्श ▪ प्रस्तुतीकरण, ▪ चार्ट तैयार करना बज़ समूह (प्रत्येक समूह में 4 प्रतिभागी)

			के प्रबंधन को समझें ○ सर्वोत्तम अभ्यास (Best Practices) • सभी शिक्षण केन्द्रों-विद्यालयों, आंगनबाडी और आश्रमशाला में सुरक्षित पेयजल की आवश्यकता • 10 साल में आप अपने गांव को कैसे देखते हैं?- आदर्श ग्राम • इसे आदर्श ग्राम बनाने में आपकी क्या भूमिका होगी?	
चाय ब्रेक -(15 मिनट)				
सत्र 2: परिचय जेजेएम	• पंचायत प्रतिनिधि/ पीआरआई /पानी पंचायत के सदस्यों, वीडब्ल्यूएससी को जेजेएम, इसके लक्ष्यों, उद्देश्यों, रणनीति, कार्यान्वयन, तौर-तरीकों और निगरानी के बारे में जागरूक करना • प्रतिभागियों को जेजेएम और "हर घर जल" की अवधारणा के बारे में परिचय देना;	75 मिनट	• जेजेएम की अवधारणा और "हर घर जल"; ○ उद्देश्य ○ एफएचटीसी क्या है • इंजीनियरिंग परिप्रेक्ष्य बदलना (निर्णय लेने के लिए ग्राम जल आपूर्ति में समुदाय को शामिल करना); ○ इंजीनियरिंग परिप्रेक्ष्य क्या है • समुदाय नेतृत्व जल प्रबंधन क्या है ○ गांव की टीम कैसे प्रबंधन कर सकती है ○ क्या लाभ हैं • पारंपरिक पेयजल आपूर्ति बनाम नल के पानी का कनेक्शन। पाइप से जलापूर्ति-लाभ और प्रभाव ○ समय की बचत, ○ महिलाओं के कठिन परिश्रम में कमी, ○ स्वास्थ्य सुधार, महिला गरिमा, ○ जीने में आसानी, ○ स्कूल छोड़ने वालों में कमी, ○ स्कूल और आंगनबाडी में बेहतर मध्याह्न भोजन • जेजेएम का विजन • जेजेएम के तहत जेजेएम के उद्देश्य, लक्ष्य और अवसर • जेजेएम डैशबोर्ड का परिचय, • आईएमआईएस अवलोकन और शिकायत निवारण तंत्र; • IoT माध्यम से घरेलू और संस्थागत स्तर पर जल आपूर्ति की निगरानी • प्रत्येक स्थान के लिए कार्यात्मकता मूल्यांकन और इसकी रिपोर्ट की आवश्यकता ○ इसे कैसे करें	• प्रस्तुतीकरण • विचार - विमर्श • समूह कार्य • गहन मंथन (Brainstorming) • ऑनलाईन प्रदर्शन (Online demo)
दोपहर का भोजनावकाश -(60 मिनट)				
सत्र 3: कार्यान्वयन के बाद में सभी हितधारकों के अवसर, भूमिका और जिम्मेदारियां	• जेजेएम (JJM), इसके लक्ष्यों, जल संसाधन योजना और प्रबंधन, जल बजट, एकीकृत जल संसाधन मानचित्रण के लिए विभिन्न पीआरए (PRA) तकनीकों का उपयोग करने पर प्रतिभागियों को जागरूक करना • जेजेएम(JJM) के तहत सभी हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में उन्हें जागरूक	45 मिनट	• जेजेएम के तहत अवसर ○ एसडब्ल्यूओटी (SWOT) विश्लेषण • प्रधान/सरपंच, पीआरआई(PRIs) सदस्यों और ग्राम पंचायत की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां • ग्राम सभा की बैठक के दौरान आम सहमति के माध्यम से वीडब्ल्यूएससी (VWSC)/पानी समितियां; ○ भूमिकायें और उत्तरदायित्व ○ मनोनीत सदस्य	• 'एक मिनट मैनेजर' गेम • प्रस्तुतीकरण • समूह कार्य

	करना।		○ VWSC का गठन कैसे करें • कार्यान्वयन सहायता एजेन्सियाँ (ISAs) की भूमिका विशेष रूप से सामुदायिक गतिशीलता, व्यवहार परिवर्तन और पंचायती राज संस्थाओं के समर्थन में ○ भूमिकायें और उत्तरदायित्व ○ भूमिकायें और उत्तरदायित्व • डीडब्ल्यूएसएम (DWSM) और कार्यान्वयन एजेंसियां (RWS/PHED) ○ सदस्य ○ भूमिकायें और उत्तरदायित्व • एसडब्ल्यूएसएम (SWSM) ○ सदस्य ○ भूमिकायें और उत्तरदायित्व • एनजेजेएम (NJJM) ○ एनजेजेएम क्या है ○ भूमिकायें और उत्तरदायित्व	
चाय ब्रेक -(15 मिनट)				
सत्र 4: अनुकूल वातावरण निर्माण- जिम्मेदार और उत्तरदायी नेतृत्व का विकास	• सामुदायिक भागीदारी और स्रोत स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) को बढ़ावा देने वाली उपयुक्त और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वयन करने के लिए ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर के हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना। • जल आपूर्ति प्रणाली, इसके घटकों, पानी के विभिन्न स्रोतों की बुनियादी बातों के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक करना और जल आपूर्ति तंत्र, भंडारण सुविधाओं, वितरण प्रणाली, एफएचटीसी (FHTC) और उसके लागत आदि को समझना। • सामुदायिक गतिशीलता की आवश्यकता और जेजेएम (JJM) के लिए इसकी प्रासंगिकता के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक करना। • प्रतिभागियों को समुदाय प्रबंधित संचालन और रखरखाव प्रणालियों (O&M)के बारे में परिचित कराना। • गांवों और बस्तियों में रहने वाले स्थानीय समुदाय के सदस्यों की अपनी खुद की जलापूर्ति योजना को विकसित और प्रबंधित करने की क्षमता को बढ़ाना। • ग्राम स्तर पर अभिसरण और संस्थागत सहयोग के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और वीडब्ल्यूएससी (VWSC) सदस्यों को जागरूक करना।	45 मिनट	• 73वां संवैधानिक संशोधन ○ पंचायत राज की जिम्मेदारी ○ जेजेएम(JJM) के लिए प्रासंगिकता; • सामुदायिक गतिशीलता, भविष्यवादी ग्राम नेतृत्व और जेजेएम (JJM) परिसंपत्तियों पर स्वामित्व ○ सामुदायिक भागीदारी ○ सामुदायिक योगदान • महिलाओं की भूमिका ○ नेता के रूप में प्राथमिक हितधारक के रूप में महिलाओं की भागीदारी, ○ समुदाय संयोजक (कम्यूनिटी मोबलाइजर) ○ कुशल पेशेवर, ○ कार्यान्वयनकर्ता ○ संचालन के साथ-साथ रखरखाव • समुदाय प्रबंधित संचालन और रखरखाव प्रणाली (O &M) (संचालन और रखरखाव के लिए जल सेवा शुल्क); ○ जल आपूर्ति प्रणाली के विभिन्न घटक ○ इसकी देखभाल कैसे करें ○ ओ एंड एम (O &M) क्या है ○ ओ एंड एम (O &M) में क्या लागत शामिल है • पेयजल प्रणालियों के कार्यान्वयन और संचालन और रखरखाव (O&M) के लिए स्थानीय कौशल विकास • कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता ○ राजमिस्त्री, ○ प्लंबर, ○ फिटर, ○ बिजली मिस्त्री, ○ एफटीके (FTK)उपयोगकर्ता आदि • विभिन्न संस्थाओ जैसे एसबीएम (SBM), मनरेगा (MGNREGA),	• प्रस्तुतीकरण • समूह कार्य

			डीएमएफटी (DMFT), 15वां एफसी (FC), सीएसआर(CSR) फंड आदि के निधियो का आपस में मिलान • केंद्रीय कोष-कवरेज, समर्थन, जल गुणवत्ता की निगरानी और चौकसी (WQM & S), जेई(JE), एईएस (AES); • राज्य अनुदान • राष्ट्रीय जल जीवन कोष। ○ उद्देश्य ○ कब बनाया गया ○ कौन दान कर सकता है ○ इस फंड का उपयोग कैसे और कहां करें	
सत्र 5: जल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी	• सेवाओं के प्रभावी और कुशल वितरण और निगरानी को बढ़ावा देने वाले नवीनतम नवाचारों, उपकरणों (टूल्स) और सर्वोत्तम अभ्यास पर ज्ञान सहायता प्रदान करना। • उन्हें पानी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूक करना। • जेजेएम (JJM) के तहत जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में उन्हें अवगत कराना।	60 मिनट	• जल गुणवत्ता का महत्व (बीआईएस 10500) मानक-; ○ विभिन्न विशेषताएं ○ अधिकतम सीमा – आपत्ति सीमा ○ मुद्दे और उपाय • स्वच्छता चौकसी- ○ उद्देश्य और कार्यप्रणाली; • एफटीके(FTK) परीक्षण- ○ प्रावधान और अवधारणा; • विभाग द्वारा रासायनिक और बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण- ○ जागरूकता निर्माण; • जेजेएम (JJM) के तहत जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए आस-पास की प्रयोगशालाओं में जनता को सुविधा- ○ महत्व और जागरूकता; • जल गुणवत्ता निगरानी और पारदर्शिता- ○ जल गुणवत्ता एमआईएस (WQMIS) प्रणाली	• प्रस्तुतीकरण • विचार - विमर्श • प्रदर्शन • फिश बॉल विधि का प्रयोग
सत्र 6: फील्ड विजिट के लिए प्रशिक्षु को बताना	सफल समुदाय संचालित और प्रबंधित पेयजल योजनाओं के फील्ड विजिट के माध्यम से प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना।	45 मिनट	• उद्देश्य; • प्रतिभागियों की आवश्यकताओं के आधार पर समूह निर्माण; • कार्यप्रणाली; • संभार-तंत्र • बुनियादी नियम • अपेक्षित परिणाम	• विचार - विमर्श

दूसरा दिन- फील्ड एक्सपोजर विजिट

सत्र	सत्र उद्देश्य	अवधि	विषय	विधि / गतिविधि
फील्ड एक्सपोजर विजिट	• जल स्रोत व्यवहार्यता, जल गुणवत्ता और एफटीके(FTK) आदि तैयार करने की प्रक्रिया को सीखना और अभ्यास करना। • जल जनित रोगों, स्वच्छता निगरानी के महत्व और गंदे पानी प्रबंधन योजना की तैयारी से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षुओं की क्षमता का निर्माण करना • जल उपचार, सामुदायिक मानचित्रण से संबंधित तंत्र और प्रक्रिया को समझना और जल समितियों/वीडब्ल्यूएससी(VWSC) के मुद्दों और चुनौतियों का विश्लेषण करना।	240 मिनट	सुझावात्मक विषय: ✓ जल स्रोत व्यवहार्यता मूल्यांकन ✓ 5 सदस्यीय निगरानी समिति द्वारा पानी की गुणवत्ता और एफटीके (FTK)परीक्षण ✓ जल जनित रोग और शिशुओं, किशोरों और वयस्कों पर इसके प्रभाव ✓ स्वच्छता निगरानी और गंदे पानी प्रबंधन योजना की तैयारी ✓ जल उपचार संयंत्रों का निरीक्षण ✓ सामुदायिक मानचित्रण ✓ संचालन और रखरखाव (O&M) के घटक ✓ जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन में जीपी/वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति के कामकाज में मुद्दों और चुनौतियों का विश्लेषण। ✓ वर्षा जल संचयन और जल स्रोत पुनर्भरण संरचनाओं की व्यवहार्यता और कार्यप्रणाली।	प्रशिक्षण पर व्यावहारिक जानकारी
फील्ड विजिट के अनुभव साझा करना (डीब्रीफिंग)		120 मिनट	सीखना, अवलोकन और अनुभव साझा करना	• समूहवार प्रस्तुति • विचार - विमर्श

तीसरा दिन- संचालन और रखरखाव चरण

सत्र	सत्र उद्देश्य	अवधि	विषय	विधि / गतिविधि
सत्र 1: हर घर जल ग्राम घोषणा प्रोटोकॉल	• हर घर जल पर परिचित कराने हेतू शिक्षित करना।	15 मिनट	• 'हर घर जल गांव' प्रोटोकॉल की जानकारी	• प्रस्तुतीकरण • विचार - विमर्श
सत्र 2: ग्राम कार्य योजना का कार्यान्वयन	• जल आपूर्ति प्रणाली की मूल बातें और जल संसाधनों की सूची पर प्रतिभागियों को जागरूक करना। • पीआरआई (PRIs) /वीडब्ल्यूएससी (VWSCs) सदस्यों/प्रतिभागियों को योजनाओं की व्यवहार्यता, एफएचटीसी, के बारे में उन्मुख करना। • ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर की जल समितियों की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में उन्हें समझाना • जीपीडीपी(GPDP) में पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता देने के बारे में उन्हें समझाना। • उन्हें रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया, प्रणाली और उसके महत्व के बारे में अवगत कराना।	60 मिनट	• पानी का संयुक्त उपयोग; ○ पानी का अलग उपयोग ○ संयुक्त उपयोग का उद्देश्य ○ इसे कैसे लागू किया जा सकता है • जल सुरक्षा; ○ परिभाषा ○ अलग पहलू ○ घटक • स्थिरता(सस्टेनेबिलिटी): ○ स्रोत, ○ प्रणाली (संस्थागत-ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी (VWSC)/पानी समिति, एसएचजी (SHG), आदि; ○ तकनीकी क्षमता ○ वित्तीय-अभिसरण और योजना; • ग्राम जल सुरक्षा योजना और बजट; • जल स्रोत ○ मजबूती और ○ सुरक्षा (कूड़ा-कचरा और मल की रोकथाम); • सुरक्षित नल के पानी के उपयोगकर्ता शुल्क (Water user charge) की आवश्यकता को समझना। • बैठक करने के लिए सहमत; • जीपीडीपी (GPDP) में वीएपी (VAP) को शामिल करना;	• गहन मंथन • प्रस्तुतीकरण • विचार - विमर्श • जीपी मार्गदर्शिका प्रारूपों पर आधारित समूह अभ्यास • रोल प्ले

			• संचालन और रखरखाव (O&M) से संबंधित फंड की बुक कीपिंग और अकाउंटिंग	
सत्र 3: स्रोत स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी), संचालन और रखरखाव (O&M)	• जल योजनाओं के घटकों के अवधारणा के बारे में प्रशिक्षुओं को उन्मुख करना। • जल योजनाओं, गंदे पानी का प्रबंधन, स्रोत स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी), संचालन और रखरखाव (O&M) हेतु प्रभावी योजना और डिजाइन करने के लिए प्रशिक्षुओं को सक्षम बनाना • जल स्रोतों, जल योजनाओं और बुनियादी ढांचे की स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) बनाए रखने के लिए उन्हें सशक्त बनाना।	60 मिनट	• बुनियादी घटकों की अवधारणाएं ○ गांव के लिये सामान्य नियम; • गंदे पानी प्रबंधन की योजना; • स्रोत स्थिरता- ○ वर्षा जल संचयन और ○ भूजल पुनर्भरण; ○ बंद पड़े बोरवेल का उपयोग • संचालन और रखरखाव (O&M) व्यवस्था और प्रणाली स्थिरता; • अटल भूजल योजना के तहत योजना प्रक्रिया- अभिसरण; ○ उद्देश्य ○ अवधारणा ○ अभिसरण	• उर्जावर्धन खेल • प्रस्तुतीकरण • विचार - विमर्श
चाय ब्रेक- (15 मिनट)				
सत्र 4: ग्राम पंचायत पेयजल प्रणालियों के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन के लिए एक उपयोगिता के रूप में	• गांव/ग्राम पंचायत में पेयजल स्रोतों के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान और कौशल को शिक्षित और विकसित करना।	60 मिनट	• जेजेएम के तहत सामुदायिक योगदान और स्वामित्व विकसित करना; • सामुदायिक योगदान और लेखांकन की भूमिकाएँ; • दैनिक और वार्षिक संचालन और रखरखाव (O&M) कार्य; • जल उपयोगिताओं के रूप में ग्राम पंचायतों (GP)/वीडब्ल्यूएससी (VWSC)की भूमिका; • संचालन और रखरखाव (O&M) फंड, खातों और रजिस्टरों को बनाए रखना; • कौशल; • शिकायत निवारण और समय पर समाधान	• प्रस्तुतीकरण • विचार - विमर्श
दोपहर का भोजनावकाश - (60 मिनट)				
सत्र 5: मुद्दो और कठिनाइयो	• प्रतिभागियों को विभिन्न व्यावहारिक मुद्दो और कठिनाइयो के बारे में करके सीखने हेतु तैयार करना।	120 मिनट	• प्रतिभागियों द्वारा फील्ड विजिट लर्निंग पर प्रस्तुतिकरण; • प्रश्न और उत्तर • समूह चर्चा और आगे की योजना (JJM के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना) • संबंधित ग्राम कार्य योजना तैयार करना (अल्पकालिक, मध्यावधि और दीर्घावधि)	• उर्जावर्धन खेल • विचार - विमर्श • प्रश्न और उत्तर • रोल प्ले
चाय ब्रेक (15 मिनट)				
समापन सत्र	प्रशिक्षण सत्रों की गुणवत्ता और प्रशिक्षुओं द्वारा उपयोगिता के आधार पर प्रभावी शिक्षण का आकलन करना।	60 मिनट	• प्रतिक्रिया और सीखने के परिणाम • प्रमाणपत्र वितरण	• तैयार प्रपत्र पर प्रतिभागी की प्रतिक्रिया व दस्तावेजीकरण • खुला सत्र